भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2162

उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

निजी विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का शोषण

2162. श्री के॰ के॰ रागेशः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के सीबीएसई संबद्ध गैर-सरकारी/निजी विद्यालयों में ज्यादा कार्य लेने, कम वेतन देने और अवकाश एवं अन्य लाभों से इंकार कर शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के घोर शोषण की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई ठोस प्रस्ताव है;
(ग) क्या सरकार ने शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शोषण से संबंधित शिकायतों के आधार पर ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को संबद्ध निजी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के शोषण संबंधी छिटपुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सीबीएसई से संबद्ध उप-नियमों के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

1. भारत के स्कूलों को अपने कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वेतन और देय भत्ते देने चाहिए जो राज्य सरकार के स्कूलों में कार्य कर रहे कर्मचारियों या वेतनमान के अनुसार सदृश वर्गों से कम न हों।

2. भारत से बाहर के स्कूलों को अपने स्कूलों के शिक्षकों को, यदि वे उस देश में आधिकारिक रूप से तैयार हैं, तो उन्हें उस देश के सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों से कम वेतन नहीं देना चाहिए या उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को देय वेतन और विदेशी भत्तों से कम वेतन नहीं देना चाहिए।

3. बोर्ड से संबद्ध/संबद्ध किए जाने वाले प्रत्येक स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा अधिनियम के अनुसार अपने प्रत्येक कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाएंगे।

4. प्रत्येक कर्मचारी को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार सेवा अनुबंध का पालन करना होगा।

इसके अतिरिक्त, स्कूल द्वारा संबंधन उपनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड स्कूल का संबंधन हटाने की कार्रवाई कर सकता है।

बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के संबंध में दिनांक 29.07.2009 और 06.02.2014 को परिपत्र भी जारी किए हैं जो सीबीएसई की वेबसाइट ww.cbse.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): ऐसी शिकायतें सीबीएसई और संबंधित राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, द्वारा देखी जाती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसी शिकायतों या स्कूलों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखता है।

*****